

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 32/2021 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
भीलवाड़ा

बनाम 1. श्री हेमन्त नेणवा पुत्र किशनलाल तेली मैसर्स  
हेमन्त किशनलाल तेल घाणी शाहपुरा  
भीलवाड़ा

- प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)  
एवं दण्डनीय धारा 58

उपस्थित—

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 05.10.2021

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि हेमन्त नेणवा पुत्र किशनलाल तेली मैसर्स हेमन्त किशनलाल तेल घाणी शाहपुरा भीलवाड़ा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (Loose) का विक्रय कर रहा था। मिलावट का शक होने पर वास्ते जांच हेतु एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना विक्रता को फॉर्म 5 ए मे दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (Loose) का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की



*Ludu*

छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म-6 मेमोरेण्डम, फर्म के संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.03.2021 को समय 4.00 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु हेमन्त नेणवा पुत्र किशनलाल तेली मैसर्स हेमन्त किशनलाल तेल घाणी शाहपुरा भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया। विक्रेता इस समय खाद्य विक्रेता/मालिक की हैसियत से हेमन्त नेणवा पुत्र किशनलाल तेली मैसर्स हेमन्त किशनलाल तेल घाणी शाहपुरा भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (Loose) का विक्रय कर रहा था।

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में विक्रेता को 280/-रु. नगद देकर रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (Loose) 2 किलोग्राम लाल रिफाइण्ड सोयाबिन तेल वास्ते जांच खरीदा तथा रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने खरीदशुदा रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (Loose) के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस. /128/एफएसएसए/2021/96 दिनांक 26.03.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (Loose) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण Conravenes Regulation No. 2.3.15(1) (b) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी द्वारा रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (Loose) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं



स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 15.07.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 20.08.2021 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में उभयपक्षकारान् उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (Loose) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण Conravenes Regulation No. 2.3.15(1) (b) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (Loose) में Conravenes Regulation No. 2.3.15(1) (b) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 because it sold in loose condition. इसलिए लिया गया खाद्य नमूना अवमानक होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (Loose) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 58 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी ने बहस में बताया कि जानबूझकर कोई गलती नहीं की हैं। फिर भी पहली गलती मानकर क्षमा किया जाकर प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जावे।


बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./128 /एक्ट/2021/96 दिनांक 26.03.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (Loose) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (Loose) में Conravenes Regulation No. 2.3.15(1) (b) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 because it sold in loose condition. इसलिए लिया गया खाद्य नमूना अवमानक होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (Loose) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।



उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (Loose) का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा रिफाइण्ड सोयाबिन तेल (Loose) का विक्रय किया है, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं जिसका जुर्माना धारा 58 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 58 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।


उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत विपक्षी पर 5,000/-रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान (0210-04-800-03-00 खाद्य सुरक्षा कानून) जमा कराकर चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3. श्री हेमन्त नेणवा पुत्र किशनलाल तेली मैसर्स हेमन्त किशनलाल तेल घाणी गहपुरा भीलवाडा को भेजकर लेख है कि उक्त शास्ति राशि चालान (0210-04-800-03-00 खाद्य सुरक्षा कानून) द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
(खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत)  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
भीलवाडा (राज.)